न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —29/2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/37

श्रीमती गीता देवी गोयल पत्नी नन्दकिशोर गोयल जाति महाजन निवासी मकान नं0 107, गोयल निवास अग्रसेन बाजार, कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. कितेन्द्र गोयल आत्मज श्री नन्दकिशोर गोयल (मृतक) नाम डिलिट
2. संपना गोयल पत्नी स्व0 कितेन्द्र गोयल आयु 46 वर्ष
3. शशांक गोयल पुत्र स्व0 कितेन्द्र गोयल आयु 20 वर्ष
4. शीका गोयल पुत्री स्व0 कितेन्द्र गोयल आयु 14 वर्ष

जरियें वली माता सपना गोयल जाति महाजन निवासीगण मकान नं0 107, गोयल निवास, अग्रसेन बाजार, कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 31.12.2024 मिसल नं0 27/2021 उनवान श्रीमती गीता गोयल बनाम कितेन्द्र गोयल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा

उपस्थितः—

1. श्री मनोज नामा, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विनीत अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 02.06.2025

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा ने प्रार्थीया अपीलांट द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने निर्णय दिनांक 31.12.2024 को आदेश पारित किया कि—"प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के पति के साथ बदसलूकी, गाली गलोच एवं मारपीट करने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से बेदखल करने का भी कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने पर्णित कथनों के सम्बन्ध में ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सकें । जिस कारण प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्व करने में असमर्थ रहे है । अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान नं0 107 गोयल निवास अग्रसेन बाजार, कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा, मारपीट, गाली गलोच इत्यादि नहीं करें । उपरोक्त वर्णित मकान नं0 107 गोयल निवास में प्रार्थीया के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

2. अपीलांटगण द्वारा आदेश दिनांक 31.12.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.02.2025 को पेश की गई है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानते हुए कि प्रार्थीया द्वारा अपने कथनों के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, इसलिये मकान से बेदखल करने की प्रार्थना अस्वीकार कर खारिज करने में गम्भीर विधिक भूल की है जबकि पत्रावली रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्वतः ही प्रमाणित था कि अप्रार्थीगण के

जिला कलक्टर
कोटा

द्वारा प्रार्थीया से लडाई झगडा कर प्रार्थीया का मकान में एक साथ निवास करना दुश्वार कर रखा है तथा प्रार्थीया व उसके पति को वृद्वावस्था में परेशान करने की दुर्भावना से आये दिन झूठे मुकदमें दर्ज कर मानसिक रूप से प्रताडित किया जाता रहा है, ऐसी अवस्था में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक विनीत अग्रवाल का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलार्थीनी /प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक मकान अग्रसेन बाजार कोटा में स्थित है जो कि प्रार्थीया ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.2.1975 को खरीद किया था उक्त विक्रय पत्र से प्रार्थीया दूसरी व तीसरी मंजिल की एक मात्र मालिक व काबिज चली आ रही है । अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थीया का पुत्र है, अप्रार्थी क्रम 2 पुत्रवधु एवं 3 व 4 पोत्र व पौत्री है जो कि वर्तमान में प्रार्थीया के स्वामित्व वाले उपरोक्त वर्णित मकान की दूसरी मंजिल पर पूर्वी दिशा की ओर स्थित दो कमरे व तीसरी मंजिल पर पूर्वी दिशा की ओर स्थित बीच वाला कमरा है में निवास करते है । प्राभ्रिया ने अपने पुत्र अप्रार्थी क्रम 1 का विवाह अप्रार्थी क्रम 2 के साथ किया । अप्रार्थी क्रम 2 का व्यवहार प्रार्थी के प्रति ठीक रहा किन्तु अप्रार्थी क्रम 3 के जन्म लेने के पश्चात उसका व्यवहार बदल गया तथा आये दिन अप्रार्थी क्रम 2, प्रार्थीया के साथ गाली गलोच करती, प्रार्थीया व उसके पति को झूंठे मुकदमों में फसाने की धमकी देती । इसी दुर्भावना से अप्रार्थी क्रम 2 ने प्रार्थीया व उसके पति के विरूद्व असत्य एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर धारा 498–ए, 406 आईपीसी का झूंठा मुकदमा महिला थाना कोटा में दर्ज कस्वा दिया जो कि जांच पश्चात प्रार्थीया व उसके पति के विरूद्व झूंठा पाया गया । अप्रार्थी क्रम 2 के उक्त आचरण व कूरता पूर्ण व्यवहार से प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति का सामान्य रूप से जीवन व्यतीत करना असम्भव हो गया । अप्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित मकान में स्थित नल बिजली की सुविधा का उपभोग कर रहे है लेकिन किसी भी प्रकार के नल बिजली के चार्जेज का भुगतान नहीं करते है, प्रार्थीया जब भी अप्रार्थीगण से नल बिजली के बिल जमा करवाने की कहती है तो अप्रार्थीगण गाली गलोच कर झगडा करने पर आमादा हो जाते है । अप्रार्थीगण येनकेन प्रकारेण प्रार्थीया को उसके सवामित्व वाले मकान से निकाल कर सम्पूर्ण मकान पर कब्जा करना चाहते है, ऐसी अवस्था में प्रार्थीया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय के माध्यम से अपनी सम्पत्ति व जीवन की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्व उपरोक्त सम्पत्ति से बेदखली का आदेश प्राप्त कर उन्हें सम्पत्ति से बेदखल कर अपनी सम्पत्ति व जीवन की सुरक्षा कर सकें । इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण द्वारा जवाब एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति स्वअर्जित आय से न होकर पूर्वजों की सम्पत्ति होना प्रकट किया व अप्रार्थीगण ने अपना काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया । काउन्टर क्लेम का प्रार्थीया ने जवाब उल जवाब पेश किया । प्रकरणे में दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.12.2024 को निर्णय पारित करते हुये प्रार्थीया का मकान से बेदखली का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं रेकार्ड के विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानते हुए कि प्रार्थीया द्वारा अपने कथनों के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना मानते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने में गम्भीर विधिक भूल की है जबकि पत्रावली रेकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्वतः ही प्रमाणित था कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया से लडाई झगडा कर प्रार्थीया का मकान में एक साथ निवास करना दुश्वार कर रखा है । प्रार्थी व उसके पति को वृद्वावसी में परेशान करने की दुर्भावना से आये दिन झूंठे मुकदमें दर्ज कर मानसिक रूप से प्रताडित

जिला कलक्टर
कोटा

किया जाता रहा है, ऐसी अवस्था में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने जब अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम खारिज फरमा दिया गया था तो फिर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित करना कि एक दूसरे के निवास क्षैत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे एवं शान्ति बनाये रखेंगे, अपने आप में ही विधि की मंशा के विरूद्व है जो अनुतोष अप्रार्थीगण के द्वारा मांगा ही नहीं गया वह अनुतोष योग्य अधीनस्थ द्वारा द्वारा अप्रार्थीगण को प्रदान कर गम्भीर विधिक भूल की है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का गम्भीरता पूर्वक विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर उक्त आदेश पारित किया है, जबकि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कर दिया था तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थीया की सम्पत्ति में बने रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था तथा प्रार्थीया अप्रार्थीगण से अपनी सम्पत्ति से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की विधिक रूप से अधिकारणी थी तो योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया की मकान से बेदखली की प्रार्थना अस्वीकार करने में गम्भीर विधिक भूल की है । ऐसी अवस्था में योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपासत किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2024 अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थीनी को रेस्पोडेन्ट्स को मकान से बेदखल कर कब्जा दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करें । वकील अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2017(2)DNJ (Raj)566 रश्मि सक्सेना बनाम सुरेश प्रकाश सक्सेना प्रस्तुत की है ।

5. रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी विवादित मकान नम्बर 107, गोयल निवास अग्रंसेन बाजार में स्थित सम्पत्ति पूर्वजों की है, उन्होने स्वयं ने अपनी स्वअर्जित कमाई से नहीं खरीदी है । प्रार्थी कम 1 का दिनांक 9.01.2022 को स्वर्गवास हो चुका है, तत्पश्चात अप्रार्थी कम 1 की धर्म पत्नी सपना गोयल, पुत्र शशांक गोयल पुत्री शीका निवास कर रहे है जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त है । चूंकि अप्रार्थी कम 2 प्रार्थीया की पुत्र वधु है जिसके दो नाबालिग पुत्र व पुत्री भी है उनके पति व पिता श्री कितेन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है,उनकी मृत्यु उपरान्त अप्रार्थी कम 2 एवं उनकी दोनों नाबालिक संताने अनाथ हो गये है यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीया कम 2 पूर्णतया बेरोजगार है और अपने पति की मृत्यु के बाद उसने प्रार्थीया व उसके पति के विरूद्व धारा 19(ए) एडोप्टेशनन एवं मेन्टीनेन्स एक्ट के तहत भरण पोषण राशि को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक न्यायाधीश कम 1 कोटा में कार्यवाही कर रखी है । अप्रार्थीया कम 2 सदैव प्रार्थीया व उसके पति नन्दकिशोर जी की सेवा सुश्रूषा करती चली आ रही है किन्तु उसके बावजूद भी उसे आये दिन गाली गलोच व लडाई झगडा व मारपीट करने व मकान से बेदखल करने पर आमादा रहते है । अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 (वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की संरक्षा) माता पिता एवं व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसके अंन्तर्गत बेदखली का प्रावधान नहीं है, सम्पत्ति सुरक्षा का प्रावधान है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी जो निर्णय पारित किया है वह वह रेस्पोडेन्ट की परिस्थितियों को एवं सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए एवं अप्रार्थीया 2 के पति की मृत्यु हो जाने के कारणों को ध्यान में रखते हुए ही पारित किया है जो उचित है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.12.2024 के विरूद्व दिनांक 06.02.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । प्रार्थीया द्वारा अपने स्वयं के स्वामित्व एवं आधिपत्य का मकान अग्रसेन बाजार कोटा से रेस्पोडेन्टगण को बेदखल करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 (वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की संरक्षा) माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोष्झण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, प्रार्थीया द्वारा अपने उक्त वर्णित मकान से अप्रार्थीगण की बेदखली एवं एवं व्यक्तिगत सुरक्षा व संरक्षण की मांग की गई थी । दौराने जेरकार प्रकरण के ही अप्रार्थी संख्या 1 कितेन्द्र गोयल की

जिला कलक्टर
कोटा

मृत्यु हो गई, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया अपीलांट की प्रार्थना इस आधार पर खारिज की गई है. कि प्रार्थीया द्वारा किये गये कथन की अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के एवं उनके पति के साथ बदसलूकी, गाली गलोच एवं मारपीट की गई, किन्तु अप्रार्थीया द्वारा मारपीट लडाई झगडा आदि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है । अपीतु प्रार्थीया एवं उनके पति नन्दकिशोर द्वारा अप्रार्थीया नं0 2 के साथ लड़ाई झगडा करने पर थानाधिकारी कोतवाली द्वारा अप्रार्थीया एवं नन्दकिशोर गोयल के विरूद्व इश्तगासा अति0 जिला मजिस्ट्रेट कोटा में दिनांक 6.5.2022 को प्रस्तुत किया जहां से प्रार्थीया एवं उनके पति को परिशांति कायमी हेतु जमानत मुचलके पर पाबन्द किया है । प्रार्थीया अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन नहीं कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जिसे निरस्त कर अप्रार्थीगण की बेदखली चाहते है ।

7. हमारा मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्व बेदखली की प्रार्थना अन्तर्गत धारा 21 में प्रार्थना पत्र पेश किया था किन्तु अप्रार्थी नं0 1 कितेन्द्र गोयल की मृत्यु हो चुकी है अर्थात शेष अप्रार्थीगण 2 से 4 के परिवार का मुखिया (कमाने वाला) की मृत्यु होने के उपरान्त अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट नं0 2 से 4 पर आर्थिक एवं मानसिक संकट उत्पन्न हो गया है, यदि अप्रार्थीगण को उक्त वर्णित मकान से बेदखल कर दिया जाता तो यह मानवीय आधार पर उचित नहीं होता, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को भी पाबन्द कर दिया है कि वह प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा आदि नहीं करें । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया है कि प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 में प्रस्तुत किया है जिसके अन्तर्गत बेदखली नहीं की जा सकती है । रेस्पोडेन्ट का तर्क कानूनीरूप से उचित है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र के टाईटल में धारा 21 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अंकित है किन्तु प्रार्थना पत्र में बेदखली की प्रार्थना की है, ऐसी स्थिति में केवल इसी तकनीकी आधार पर बिना गुणावगुण पर विवेचन किये अपील खारिज करने का कारण नहीं बनता है ।

8. वकील अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2017(2)DNJ (Raj)566 रश्मि सक्सेना बनाम सुरेश प्रकाश सक्सेना प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्वान्त प्रतिपादित किया है–" **माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 धारा 23 याचिनी की ससुराल से बेदखली हेतु एस.डी.एम. ने आदेश दिया– याचिनी व रेस्पोडेन्ट के पुत्र के बीच विवाह भंग हुआ–शब्द 'अन्तरण' में आदिपत्य का अन्तरण भी शामिल है– लाईसेन्सी के रूप में मकान का कब्जा दिया– ससुर के विरूद्व याचिनी निवास के अधिकार का दावा नहीं कर सकती–निर्णीत, आदेश में त्रुटि या शिथिलता नहीं है ।**" उच्च न्यायालय के इस निर्णय में याचिनी एवं रेस्पोडेन्ट के पुत्र के बीच विवाह भंग हुआ है, ऐसी स्थिति में पुत्रवधु अपने ससुर के मकान में लाईसेन्सी के रूप में कब्जा प्राप्त नहीं कर सकती है, किन्तु इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 के बीच में विवाह भंग अर्थात तलाक नहीं हुआ है अपित रेस्पोडेन्ट नं0 1 की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का तो यह दायित्व बन जाता है कि वह अपने पुत्र के परिवार को ढांढस बनाते हुए अपने पास रखें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया की बेदखली की प्रार्थना खारिज करते हुए अपीलाधीन पारित निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

9. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31.12.2024 में हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा